न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 46/2021 (2021/83)

अपीलार्थीगण

1. गौमतचन्द जैन एच0 यू0 एफ0 कर्ता श्री गौतमचन्द जैन पुत्र श्री मेवाराम, जाति जैन, उम्र 54 वर्ष, निवासी – 13/2–ए, महावीर नगर, पाल लिंक रोड़, जोधपुर।
2. मदनलाल एच0 यू0 एफ0 कर्ता श्री मदनलाल पुत्र मोहनलाल छाजेड, जाति जैन, उम्र 50 वर्ष, निवासी 462/15, न्यू किदवई नगर, लूधियाना (पंजाब), हाल – 26, चारण गली, अमन पार्क न्यू राजगुरू नगर, लुधियाना, पंजाब।
3. मनोज कुमार पुत्र सम्पतराज जैन, जाति जैन, उम्र 44 वर्ष, निवासी – 3/7 रूपनगर, दिल्ली।
4. किस्तुरचन्द पारसमल एच0 यू0 एफ0 कर्ता श्री पारसमल धारीवाल पुत्र किस्तुरचंद, जाति जैन, उम्र 62 वर्ष, निवासी – सी–131, शास्त्रीनगर, जोधपुर।
5. देवेन्द्र छाजेड़ पुत्र श्री जसराज छाजेड़, जाति जैन, उम्र 30 वर्ष, निवासी – 16 बी/2, लाईट एंड एरिया, जी एक्सटेंशन, शास्त्रीनगर, जोधपुर।
   जरिये आममुख्त्यार श्री जसराज छाजेड़ पुत्र श्री अमोलखचंद, जाति जैन, उम्र 58 वर्ष, निवासी – 16 बी/2, लाईट एंड एरिया, जी एक्सटेंशन, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।
2. सोमप्रकाश पुत्र श्री रामरतन सिंघल, जाति अग्रवाल, निवासी – प्लॉट नं0 72, सेक्टर बी, शास्त्रीनगर, जोधपुर।
3. कमोद पुत्र श्री कैलाशराज, जाति टाटिया ओसवाल, निवासी प्लॉट नं0 30, सेक्टर ई, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार लूणी द्वारा पत्रावली क्रमांक 506–507/2019 दिनांक 08.08.2019 को पारित किया गया।

————

उपस्थिति

1. अभिभाषक श्री ओ0 पी0 बूब (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र सुराणा (प्रत्यर्थी सं0 02)।
3. अभिभाषक श्री अवतारसिंह (प्रत्यर्थी सं0 03)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:54 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :— दिनांक :— 05.08.2022

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश तहसीलदार लूणी द्वारा पत्रावली क्रमांक 506—507/2019 दिनांक 08.08.2019 को पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 2 एवं 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 105 रकबा 8 बीघा, खसरा नं0 106 रकबा 20 बीघा एवं खसरा संख्या 106/2 रकबा 7 बीघा ग्राम सालावास तहसील लूणी में आई हुई है। इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 ने प्रस्तावित ले आउट प्लान बनाकर इस भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर दिया जिसके लिए इन्होनें एक भूमि का नक्शा बनाया एवं नक्शें में 60 फीट चौड़ाई की रोड़ दर्शाई। इन भूखण्डों को अलग—अलग व्यक्तियों को भूखण्डों के आगे 60 फीट चौड़ाई का रास्ता का उल्लेख करते हुए विक्रय कर दिए। रास्ते के लिए रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने रेस्पो0 संख्या 01 के समक्ष रोड़ की भूमि के लिए समर्पणनामा निष्पादित करते हुए भूमि राज्य सरकार के लिए छोड़ दी। रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने आवेदन पत्र के साथ प्रार्थना—पत्र, समर्पणनामा, नक्शे की नकल एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। जिस हेतु तहसीलदार लूणी द्वारा रास्ते के लिए छोड़ी गई भूमि के लिए दिनांक 19.04.2011 को पटवारी हल्का सालावास को मौका की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। उक्त तमाम स्थिति को अनदेखा करते हुए एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों को बिना सुने दिनांक 08.08.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए नए सिरे से समर्पणनामा पेश करने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्टगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सुराणा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री अवतार सिंह ने वकालतनाता पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 25.07.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि वर्तमान में अपीलार्थी इस भूमि का खातेदार है एवं उन्होनें समर्पित भूमि को रास्ता मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को विक्रय की, ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.02.16 16:22:54 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी हाल ही में अपीलार्थी को उस समय हुई जब अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 08.08.2019 की नकल प्राप्त की। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से गलत, गैर कानूनी एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया हुआ है ऐसे अवैध एवं शून्य आदेश के लिए समय सीमा लागू नहीं मानी जा सकती है। अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे माफ किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपील के गुणावगुण बहस में बतलाया कि रेस्पो0 संख्या 2 एवं 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 105 रकबा 8 बीघा, खसरा नं0 106 रकबा 20 बीघा एवं खसरा संख्या 106/2 रकबा 7 बीघा ग्राम सालावास तहसील लूणी में आई हुई है। इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 ने प्रस्तावित ले आउट प्लान बनाकर इस भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर दिया जिसके लिए इन्होनें एक भूमि का नक्शा बनाया एवं नक्शें में 60 फीट चौड़ाई की रोड़ दर्शाई। रास्ते के लिए रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने रेस्पो0 संख्या 01 के समक्ष रोड़ की भूमि के लिए समर्पणनामा निष्पादित करते हुए भूमि राज्य सरकार के लिए रास्ते के रूप में छोड़ दी। उक्त रास्ता भूखण्ड संख्या 91 से 103 तथा 79 से 90 के भूखण्डों पर आने–जाने के लिए रास्ते हेतु 60 फीट चौड़ाई का रास्ता छोड़ा गया। उक्त रास्ता ग्राम सालावास के खसरा नं0 106 मीन/2 में से 0.02 बीघा, खसरा नं0 106 मीन/1 में 3 बीघा 4 बिस्वा 18 बिस्वांशी एवं खसरा नं0 105 मीन में 1 बीघा 18 बिस्वांशी कुल भूमि 4 बीघा 7 बिस्वा 16 बिस्वांशी जो रास्ते के रूप में छोड़ा हुआ भू–भाग था। उसे रेस्पो0 संख्या 01 के समक्ष सर्मपण करने हेतु दिनांक 18.04.2011 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने आवेदन पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र, समर्पणनामा, नक्शे की नकल एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। जिस हेतु तहसीलदार लूणी द्वारा रास्ते के लिए छोड़ी गई भूमि के लिए दिनांक 19.04.2011 को पटवारी हल्का सालावास को मौका की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। उक्त पत्र भिजवाने के बाद यह भूमि रास्ते के रूप में समर्पित हो गई थी एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने भूखण्डों के आगे 60 फीट चौड़ाई का रास्ता उल्लेख करते हुए अलग–अलग व्यक्तियों को जरिये विक्रय–पत्र बेचना कर दिये। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों, मौका एवं [illegible] रिकॉर्ड को अनदेखा करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:54 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार लूणी ने गलत एवं गैर कानूनी अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2019 नए सिरे से समर्पणनामा पेश करने का पारित किया जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष के अभिभाषक ने बहस में आगे बतलाया कि जब भूमि के मूल खातेदार रेस्पो0 संख्या 2 एवं 3 ने अपने विक्रय पत्र में इस भूमि को रास्ता बता दिया था तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार लूणी को रास्ते की भूमि का पुनः खातेदार के नाम नामान्तरकरण भरने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अतः ऐसे नामान्तरकरण शुरू से ही अवैध एवं शून्य है। तहसीलदार लूणी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होने से निरस्त करने की इस्तदुआ की।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में बतलाया कि तहसीलदार लूणी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिवत् व न्यायसंगत है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा समर्पणनामा दिनांक 19.04.2011 को तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 19.04.2011 को पटवारी हल्का से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के लिए पत्र जारी किया गया। उसके बाद 8 साल तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही समर्पणनामा के लिए नहीं की गई। वर्तमान में मौके पर परिस्थितियां बदल गई है और भूखण्डों का बेचना किया जा चुका है तथा मौके पर समर्पणनामा के अनुसार रास्ता है या नहीं ? अतः तहसीलदार लूणी द्वारा अपीलाधीन आदेश में खसरा नं0 105 व 106 के वर्तमान में दर्ज समस्त सह खातेदारों का संयुक्त रूप से या बंटवारा करवाकर नये सिरे से समर्पणनामा पेश करने का जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायसंगत है। अतः अपील विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि वर्तमान में अपीलार्थी इस भूमि के खातेदार है एवं उन्होनें समर्पित भूमि को रास्ता मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 से भूमि क्रय की, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को उस समय हुई जब अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 08.08.2019 की नकल प्राप्त की। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार से है कि अपीलार्थी के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि ग्राम सालावास के खसरा नं0 106 मीन/2 में से 0.02 बीघा, खसरा नं0 106 मीन/1 में 3 बीघा 4 बिस्वा 18 बिस्वांशी एवं खसरा नं0 105 मीन में 1 बीघा 18 बिस्वांशी कुल भूमि 4 बीघा 7 बिस्वा 16 बिस्वांशी को समर्पण करने हेतु तहसीलदार लूणी (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) के समक्ष समर्पणनामा दिनांक 18.04.2011 को प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मूल अभिलेख का अध्ययन करने से पाया गया कि हल्का पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 02.08.2019 को प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार लूणी ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2011 में प्रस्तुत समर्पणनामा स्वीकार नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि के खातेदार बदलने से नये सहखातेदार भी दर्ज हो गये ऐसी स्थिति में वर्ष 2011 में प्रस्तुत समर्पणनामा को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होना कहा तथा खसरा नं0 105 व 106 के वर्तमान में दर्ज समस्त खातेदारों को संयुक्त रूप बंटवारा करवाकर नये सिरे से समर्पणनामा पेश करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार के उक्त आदेश से सहमत होते हुए उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 05.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:54 IST
Reason: SelfAttested